

फर्द अहकाम



(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर

उनवान सरकार बनाम सुब्बी


किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र आर बी एक्ट

प्रा0पत्र नम्बर 15/251/2022 दायर दिनांक 27.09.2022

तारीख हुकम	हुकम की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18.10.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा बोलोरो पिकअप रजि0 संख्या आर.जे.-02-जी.सी.-0356 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी रामगढ़ से राय/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी रामगढ़ द्वारा दिनांक 17.10.2022 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि उक्त जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने से पुलिस थाना रामगढ़ को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस अभिशंषा पर जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश कर दे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। पत्रावली वास्ते पेश करने सुपुर्दनामा/ तस्दीकशुदा जमानतनामा दिनांक 31.10.2022 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलक्टर अलवर</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/उप0 जज अनु० पीठासीन अधिकारी मय सरकार व्यस्त हैं। पत्रावली पेश करने सुपुर्दनामा/ तस्दीकशुदा दिनांक 31.10.2022 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;"> रीडर</p>	

31/10/22

वकील जकी के प्रार्थना पर  
प्रमाण तब ही प्रमाण के हिसाब  
वकील जकी का निदेशित मामला  
के प्रमाण। प्रमाण पर प्रमाण  
के तब ही प्रमाण प्रमाण  
के प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण  
के प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण

  
जिला कलेक्टर  
अलवर (राज.)